भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1344

09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: दालों, अनाज और खाद्य तेलों का उत्पादन

1344. श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में दालों, अनाज और आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवंटित, संवितरित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दालों, अनाज और आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए तमिलनाडु को पर्याप्त वित्तीय, संभार तंत्र और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) तेज हवाओं/वर्षा और उसके बाद बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुई राजस्व हानि के पश्चात उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): चावल, गेंहू, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, तिलहन और ऑयल पाम सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) आंध्रप्रदेश, सहित राज्यों में फसल विकास कार्यक्रमों अर्थात; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, डीएसीएंडएफडब्ल्यू देश में "पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)" तथा "लक्षित चावल परती क्षेत्र (टीआरएफए)" जैसे फसल उत्पादन कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अलावा, राज्य राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विकास कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं।

(ख): पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्रप्रदेश के लिए एनएफएसएम-खाद्यान्न घटकों, एनएफएसएम-तिलहन एवं ऑयल पाम और आरकेवीवाई के अंतर्गत आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ग): डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने वर्ष 2020-21 के दौरान तमिलनाडु राज्य के लिए केंद्रीय शेयर के रूप में एनएफएसएम-खाद्यान्न घटक के लिए 36.99 करोड़ रूपये, एनएफएसएम-तिलहन एवं ऑयल पाम के लिए 15.81 करोड़ रूपये तथा आरकेवीवाई के अंतर्गत 176.83 करोड़ रूपये राशि का आवंटन किया है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) राज्यों में तकनीकी सहयोग देने, फसल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने तथा किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से फसल विकास कार्यक्रमों से जुडे हुए हैं।

(घ): चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल-फटने, कीट आक्रमण, पाला तथा शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में, संबंधित राज्य सरकारें भारत सरकार की मदों और मानकों के अनुसार प्रभावित किसानों को अपने स्तर पर निपटान के लिए रखे गए राज्य आपदा अनुक्रिया को (एसडीआरएफ) से इनपुट राजसहायता के रूप में राहत प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं और एसडीआरएफ के निपटान क्षमता के बाहर होने की स्थिति में, राज्य सरकारों को किसानों सहित प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता की मंजूरी दी जाती है।

इसके अलावा, डीएसीएंडएफडब्ल्यू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बुआई-पूर्व से लेकर फसल-कटाई चरण तक की सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक आपदाओं के के लिए किसानों की फसलों व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करता है।

अ.ता.लो.स.प्र.सं.1344

अनुबंध-I

पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्रप्रदेश राजय के लिए एनएफएसएम-खाद्यान्न घटकों, एनएफएसएम-तिलहन एवं ऑयल पाम और आरकेवीवाई के तहत आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(केन्द्रीय शेयर, रूपये करोड़ में)

स्कीम का नाम	**2018-19**			**2019-20**		
	आवंटन	**निर्मुक्ति**	**व्यय**	**आवंटन**	**निर्मुक्ति**	**व्यय**
एनएफएसएम-खाद्यान्न घटक	73.02	61.80	61.75	54.54	43.26	45.39
एनएफएसएम- तिलहन एवं ऑयल पाम	52.50	41.65	32.01	38.43	31.71	33.83
आरकेवीवाई	204.71	253.48	253.48	210.34	267.70	235.13 (25.01.2021 तक)

****